

आयकर पैन सेवा इकाई

(एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा संचालित)

5 वी मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मॉडल कालोनी,

दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411 016.

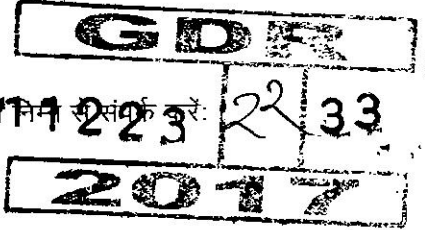
फ.स.डी.आई.टी. (एस)/पैन/आईटीएमएन_आरइजी

आयकर विभाग को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपको निम्नलिखित स्थायी लेखा संख्या (पैन) आबंटित की गयी है:

AANFN5912B

पैन कार्ड इसके साथ संलग्न है। आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए कृपया निम्न सूचनाएं ध्यान से पढ़ें:

WARD 1, GANDHINAGAR



हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आय विवरणी तथा करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त चालानों में पैन का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि आपके द्वारा भुगतान किये गये करों का सही जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित किया जा सके और आयकर विवरणी पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके। आयकर विभाग के साथ पत्र-व्यवहार में पैन का उल्लेख करने से करदाता सेवाओं में सुधार लाने में हमें सहायता मिलेगी।

हम सूचित करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनेक संव्यवहारों में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे संव्यवहारों के विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 114बी का अवलोकन करें।

एक से अधिक पैन आबंटित होने की असंभावित स्थिति में इस तथ्य को अपने कर-निर्धारण अधिकारी की जानकारी में अवश्य लायें क्योंकि एक से अधिक पैन रखना या उसका प्रयोग करना कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक दंड लगाया जा सकता है।

यदि आपके पैन कार्ड पर मुद्रित विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे आयकर पैन सेवा इकाई के उपर्युक्त पते पर अथवा पैन कार्ड के पीछे दिये गये पते पर सूचित कर सकते हैं।

नगरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आयकर विभाग की वेबसाइट - www.incometaxindia.gov.in देखें या आयकर संपर्क केन्द्र (फोन - 1800 - 180 - 1961) से संपर्क करें। इस साइट पर पैन पर विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है।

आयकर विभाग

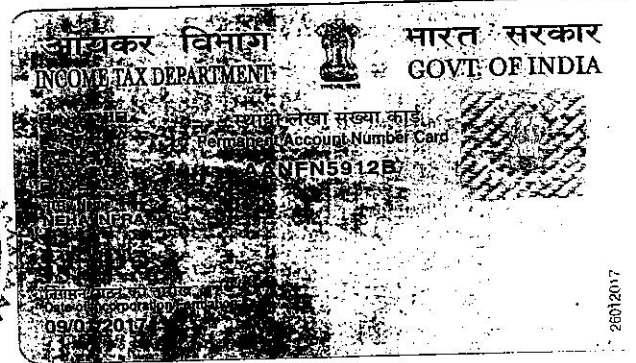
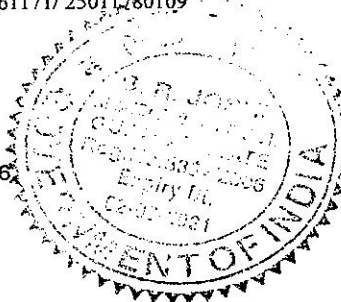
PKG ID: PRC / 00174 / 25012017_02 / PST

GUJ/ 123/ 1543797000118761171/ 25011780109

नेहा इन्फ्रा

नेहा इन्फ्रा,
बी/26, श्री प्रभु सोसायटी,
चांदखेडा, अहमदाबाद,
गुजरात - 382424

TEL NO.: 91 - 8306202426



यदि आप हिन्दी में मुद्रित नाम और पते में सुधार करना चाहते हैं तो कृपया अपने कर-निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।
(यह कंप्यूटर से तैयार पत्र है, अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है)

TRUE COPY

B. R. JOSHI
NOTARY
GOVT. OF INDIA